

जेडीए का फर्जी पट्टा बनाकर चार करोड़ रुपये में प्लॉट बेचने वाली गैंग पुलिस के हथ्थे चढी

गैंग के मुख्य आरोपी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

जयपुर। श्याम नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक प्लॉट का जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) का फर्जी पट्टा और मुख्तारनामा बनाकर चार करोड़ रुपये में बेचने वाली गैंग के मुख्य आरोपित सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि श्याम नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए की प्लॉट का जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) का फर्जी पट्टा और मुख्तारनामा बनाकर बेचने वाली गैंग के मुख्य अंशुल खन्ना (35) निवासी वैशाली नगर जयपुर, रिषभ देव शर्मा (35) निवासी हिण्डोल सिटी जिला करौली और राकेश कुमार सैनी (27) निवासी बास दयाल जिला अलवर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में अंशुल खन्ना से सामने आया है कि उसे और उसके साथी विनय जांगिड़ तथा चेतन शर्मा को रूपों की आवश्यकता थी। जिन्होंने चेतन के जानकार अविनाश शर्मा से जून 2024 में 38 लाख रुपये उधार लिये थे। जिसके बदले में उसने अपना 56 लाख का चौक भरकर गिरवी रखा था। रुपये उसके खाते में ऑनलाइन आये थे। जिसमें से 18 लाख रुपये चेतन शर्मा एवं 10 लाख रुपये विनय जांगिड़ को ट्रांसफर कर दिये। लेकिन अविनाश शर्मा ने एक माह बाद ही रुपये मांग लिये। लेकिन रुपये की व्यवस्था नहीं हो पायी। इस वजह से गैंग के अन्य सदस्यों को शामिल कर रुपये ठगने की योजना बनायी।



श्याम नगर थाना पुलिस ने जयपुर विकास प्राधिकरण का फर्जी पट्टा बनाकर बेचने करने वाली गैंग के तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

■ पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने जेडीए की वेबसाइट से प्लॉट के मालिक के बारे में डिटेल ली। एडिटिंग टूलस का यूज कर फेक मुख्तारनामा व चालान रसीद तैयार की। उस पर उप पंजीयक-5 जयपुर की फेक सील-मोहर लगाकर तैयार कर ली। ऑरिजिनल ऑनर श्यामा परतानी के आधार कार्ड में एडिटिंग कर महिला की जगह पुरुष की फोटो लगा दी। महिला की जगह पुरुष और पति की जगह पुत्र कर दिया।

शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने अपनी पत्नी श्यामा देवी के नाम से साल-1981 में एक प्लॉट विवेक विहार में खरीदा था। साल-2021 में जेडीए का शिविर लगने पर लीज रकम जमा करवाकर पत्नी के नाम जेडीए पट्टा ले

लिया था। प्लॉट की बाउंड्री वॉल बनाकर गेट व ताला लगाकर स्वामित्व में ले रखा है। रिश्तेदार ने कॉल कर बताया कि उनके प्लॉट के फेक पेपर मार्केट में आए हैं। इसमें उनकी पत्नी की जगह श्यामा परतानी नाम से आदमी का रजिस्टर्ड

पट्टा, साइट प्लान व मुख्तारनामा आदि भी है। उसके साथ मिले मोबाइल नंबर पर कॉल करने वाला खुद का नाम विक्रम सिंह बता रहा है। प्लॉट बेचने वाले के संबंध में पूछने पर प्रॉपर्टी डीलर का पता नहीं बताया। जांच में सामने आया है कि

विवेक विहार का मुख्तारनामा पंजीयन ऑफिस-5 में रजिस्टर्ड ही नहीं है। प्लॉट का ऑरिजिनल पट्टे से बनाए गए फेक पट्टे में महिला की जगह आदमी की फोटो लगाई गई है। फेक मुख्तारनामा धारक अंशुल खन्ना और गवाह राकेश कुमार सैनी व रिषभ शर्मा हैं। पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी दलबीर सिंह ने बताया कि पूछताछ में अंशुल खन्ना से सामने आया है कि उन्होंने जेडीए की वेबसाइट से प्लॉट के मालिक के बारे में डिटेल ली। एडिटिंग टूलस का यूज कर फेक मुख्तारनामा व चालान रसीद तैयार की। उस पर उप पंजीयक-5 जयपुर की फेक सील-मोहर लगाकर तैयार कर ली। ऑरिजिनल ऑनर श्यामा परतानी के आधार कार्ड में एडिटिंग कर महिला की जगह पुरुष की फोटो लगा दी। महिला की जगह पुरुष और पति की जगह पुत्र कर दिया। प्लान के तहत सीए दोस्त चेतन शर्मा को प्लॉट बेचने के लिए खरीदार लाने की जिम्मेदारी दी। चेतन शर्मा ने अपने जानकार नरेश कुमार गुप्ता को प्लॉट व डॉक्यूमेंट दिखाए। डील फाइनल होने पर नरेश कुमार गुप्ता से एग्रीमेंट कर कुल 75 लाख रुपए ले लिए, लेकिन उसको रजिस्ट्री नहीं करवाई। वहीं राकेश सैनी जिस सेट के पास काम करता है, वह बहुत पैसे वाला है। उसको प्लॉट दिखाने पर वह नरेश कुमार से ज्यादा रुपयों में खरीदने को राजी हो गया। प्लॉट का सौदा सेट जानकी शरण से 3.20 करोड़ में कर बेचान कर दिया। उनकी बहू सपना के नाम उपपंजीयक ऑफिस 10 जयपुर में रजिस्ट्री करवा दी। उनसे मिले रुपयों को गैंग के सदस्यों ने आपस में बांट ली।

चेटीचंड के अवकाश के दिन क्रिकेट मैच लीग के आयोजन का मामला गर्माया

कार्यालय संवाददाता- जयपुर। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.) के जयपुर चैप्टर की कार्यकारी समिति द्वारा गत 30 मार्च को क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन करने का विरोध गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि इस दिन चेटीचंड अवकाश था और इस संदर्भ में समिति के चेयरमैन विवेक शर्मा व सचिव वरुण मेहरा को 2 बार सिंधी समाज के एक सदस्य ने पत्र लिखकर आपत्ति भी दर्ज करवायी थी। इसके बावजूद ना तो उन्होंने सिंधी समाज की धार्मिक आस्था का ख्याल रखा तो मैच को तारीख बदली और ना ही आपत्ति दर्ज करवाने वाले सदस्य को कोई पत्र का जवाब दिया। इस मामले में जब विवेक शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जयपुर चैप्टर में 2500 सदस्य हैं, हमें शिकायती पत्र मैच आयोजन के टीक 2-3 दिन पहले मिला था, ऐसे में आखिरी वक्त पर मैच रद्द करना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि क्रिकेट का यह शेड्यूल हमने केन्द्रीय समिति से अप्रूव भी करवाया था। उनका कहना है कि क्रिकेट मैच का आयोजन गैर अवकाशिक श्रेणी में आता है, उन्हें प्रत्येक सत्र में ऐसा एक आयोजन करना ही होता है। ऐसे में क्रिकेट मैच रद्द करने

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के जयपुर चैप्टर द्वारा गत 30 मार्च को किया गया था लीग का आयोजन
- बताया जा रहा है कि सिंधी समाज के सदस्य ने चेटीचंड के दिन यह मैच रखने पर आपत्ति दर्ज करवायी थी, परंतु समिति ने उसे नजरअंदाज कर दिया

अथवा उसकी तारीख बदलने का कोई विकल्प नहीं था। इस मैच में मात्र 402 सदस्य ही हिस्सा ले सकते थे और सिंधी समाज से भी सदस्य आमंत्रित थे और उनमें से कुछ लोगों ने हिस्सा भी लिया था। सिंधी समाज के जिस सदस्य ने शिकायत दी है, वे खुद पिछले वर्ष चेटीचंड के दिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.टी.) में अपने मुक्तिवकल को पैरवी के लिए पेश हुए थे। हालांकि शिकायतकर्ता का कहना है कि, यह आरोप मिथ्या है, चेटीचंड के दिन अवकाश रहता है, मैं पिछले वर्ष एन.सी.एल.टी. में पैरवी के लिए नहीं गया था। दरअसल यह मामला अब इसलिए गर्माया है, क्योंकि आई.सी.एस.आई. के जयपुर चैप्टर द्वारा पूर्व में भी 2 बार चेटीचंड के दिन इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिसके खिलाफ शिकायतें दर्ज करवायी जा चुकी हैं। वर्ष 2015 में चेटीचंड के दिन

तत्कालीन समिति अध्यक्ष द्वारा "प्रोफेशनल डवलपमेंट प्रोग्राम" आयोजित किया गया था, जिसकी भी शिकायत दर्ज हुई थी। इसके बाद वर्ष 2017 में भी ऐसा ही एक कार्यक्रम रखा गया था, परंतु उसके बाद तत्कालीन सचिव राहुल शर्मा ने आदेश दिए थे कि, जिसमें सभी त्यौहारों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगायी थी। वर्ष 2019 से 2023 तक चेयरमैन रह चुके राहुल शर्मा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि, मेरे कार्यकाल में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई। पिछले दिनों हुए मैच के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकरण में आई.सी.एस.आई. जयपुर चैप्टर के समिति सदस्य वैभव तेजवानी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि, इस क्रिकेट मैच की जानकारी मुझे भी समय से नहीं दी गई थी और यह भी नहीं बताया गया था कि चेटीचंड के दिन इस तरह का आयोजन किये जाने को

लेकर किसी सदस्य ने आपत्ति दर्ज करवायी है। उन्होंने कहा कि नियम कायदों की जानकारी नहीं थी। शिकायतों का जवाब देने के लिए कोषाध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी मन्वन्लाल रंगर जिम्मेदार हैं, उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी समिति के समक्ष नहीं रखी। बताया जा रहा है कि क्रिकेट मैच लीग का कार्यक्रम पूर्व में 16 मार्च को आयोजित होना था, परंतु होली के त्यौहार व अन्य किसी कार्यक्रम के कारण यह तारीख बदलकर पहले तो 23 मार्च और बाद में 30 मार्च तय की गई। कई सदस्यों का कहना है कि इस प्रकरण को लेकर केन्द्रीय समिति को शिकायती पत्र लिखेंगे।

बेहतर जीवन स्तर से समृद्ध होंगे सीमावर्ती गांव : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान किए गए "वाइब्रेंट विलेजस कार्यक्रम" को सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के समग्र विकास की दिशा में सशक्त बनाने का उद्देश्य है। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास एवं नागरिकों के जीवन स्तर को अधिक बेहतर बनाने में परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। उल्लेखनीय है कि वाइब्रेंट विलेजस

'वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम बहनों के सम्मान को बढ़ावा देने वाला'

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम बहनों के सम्मान को बढ़ाने वाला बिल है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम बहनों और गरीब मुसलमान लोगों के सम्मान, कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं तो ऐसे में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बिल के बाद भी वक्फ की संपत्तियों से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। विपक्ष इस बिल को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं लेकिन अब मुस्लिम वर्ग अब कांग्रेस के बहकावे में आने वाला नहीं है। राठी ने कहा कि इस बिल के बाद वक्फ श्रमिकों की मुस्लिम बहनों को शामिल किया जाएगा। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

'सीजीएसटी अपीलीय प्राधिकारी के यहां वीसी से सुनवाई क्यों नहीं'

जयपुर। हाईकोर्ट ने करदाताओं की ओर से कई बार आवेदन करने के बाद भी उन्हें सीजीएसटी अपीलीय प्राधिकारी की ओर से वचुअल हियरिंग की सुविधा नहीं देने को गंभीर माना है। अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में वचुअल सुनवाई है तो फिर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा करदाताओं को वचुअल सुनवाई उपलब्ध नहीं करवाने का ऐसा कोई उचित कारण नहीं है। अदालत ने कहा कि करदाताओं को यदि बुनियादी ढांचे के अभाव में वचुअल सुनवाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो केन्द्र सरकार को अपनी बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाना चाहिए और

- हाईकोर्ट ने करदाताओं की ओर से कई बार आवेदन करने के बाद भी उन्हें वचुअल हियरिंग की सुविधा नहीं देने को गंभीर माना है

करदाताओं को यह सुविधा दी जानी चाहिए। सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश मैसेज डीआर एन्टरप्राइजेज की याचिका पर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता रवि गुप्ता ने बताया कि खंडपीठ ने प्रार्थी फर्म को भी राहत देते हुए 37.50 लाख रुपए की डिमांड के मामले में आगामी सुनवाई तक देहांत करवाई नहीं करने के लिए कहा है। खंडपीठ ने संयुक्त आयुक्त,

अपील्स, सीजीएसटी जयपुर को कहा है कि वे शपथ पत्र पेश कर बताए कि उन्होंने प्रार्थी को वचुअल हियरिंग की सुविधा क्यों नहीं दी। वहीं अदालत ने याचिका की कॉपी एएसजी ऑफिस को भिजवाते हुए उपायुक्तों को कहा है कि वे केन्द्र सरकार से निर्देश प्राप्त कर बताए कि प्रार्थी फर्म को वचुअल हियरिंग से मना क्यों किया गया। दरअसल सीजीएसटी के याचिकाकर्ता फर्म को 37.50 लाख रुपए की डिमांड निकाली थी।

बीआईएस ने अमेज़न वेयरहाउस पर छापा डाला

जयपुर। भारतीय मानक ब्यूरो, राजस्थान की टीम ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म-अमेज़न के जयपुर में झोटावाड़ा स्थित वेयरहाउस पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के उल्लंघन हेतु 4 एवं 5 अप्रैल को तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में वे उत्पाद जब्त किए गए। जिन्हें बिना मानक मुहर (आईएसआई मार्क एवं रजिस्ट्रेशन मार्क) विक्रय हेतु संग्रहित किया गया था। यह कार्रवाई कानिका कालिया, निदेशक एवं प्रमुख, बीआईएस राजस्थान के निर्देश पर बीआईएस के पांच अधिकारियों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा की गई जिसमें रमन कुमार त्रिवेदी, दीपक लोदवाल, पवन कुमार, सुरेश कुमार गोपालन, संगीता चौधरी शामिल थे।

दिया कुमारी ने किए कुलदेवी के दर्शन

जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर शनिवार को कुलदेवी श्री जमुवाय माता, श्री शिला माता मंदिर और मनसा माता के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को सुख-समृद्धि एवं मांमालम्य जीवन के लिए प्रार्थना की। उप मुख्यमंत्री ने श्री जमुवाय माता मंदिर के विकास और सड़क कार्य का भी जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने "वाइब्रेंट विलेजस कार्यक्रम" के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया

कार्यक्रम द्वितीय के अन्तर्गत राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांवों को शामिल किया जाएगा।

लक्ष्य पूरा नहीं करने पर सेवा परिलाभ नहीं रोक सकते : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवार नियोजन का लक्ष्य पूरा नहीं करने के आधार पर ही किसी कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जा सकती और ना उसके सेवा संबंधी परिलाभ रोके जा सकते हैं। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता के सर्विस रिकॉर्ड में की गई प्रतिकूल टिप्पणी को भी रद्द कर दिया है। अदालत ने आयुर्वेद विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक को निर्देश दिया है कि वे तीन महीने में प्रार्थी को चर्यनित वेतनमान व सभी परिलाभ दीं। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश आयुर्वेद विभाग से रिटायर कंपाउंडर कमलेश कुमार गुप्ता की याचिका पर दिया।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता आयुर्वेद विभाग में कंपाउंडर के पद पर था। इस दौरान 1995-96 में परिवार नियोजन का तय लक्ष्य पूरा नहीं करने के चलते विभाग के अफसरों ने उसके सर्विस रिकॉर्ड में टिप्पणी कर दी। उसने विभाग के अफसरों को प्रतिवेदन भी किया, लेकिन उन्होंने टिप्पणी बहाल रखी। इसके साथ ही साल 1999 में उसे मिलने वाले चर्यनित वेतनमान का लाभ भी एक साल के लिए स्थगित कर दिया। हाईकोर्ट में इसे चुनौती देकर कहा कि साल 2004 के परिपत्र में कर्मचारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में परिवार

नियोजन लक्ष्य में कमी पर प्रतिकूल टिप्पणी करने पर पाबंदी लगाई गई है। परिवार नियोजन का जो लक्ष्य प्रार्थी को दिया था, उसे पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति का जबरन परिवार नियोजन नहीं कर सकते। कर्मचारी केवल प्रयास ही कर सकते हैं और लक्ष्य पूरा नहीं करने पर उसे डिट्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में उसके खिलाफ सर्विस रिकॉर्ड में की गई प्रतिकूल टिप्पणी को हटाते हुए उसे परिलाभ दिलाए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि केवल परिवार नियोजन का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर ही कर्मचारी के सेवा परिलाभ नहीं रोक सकते।

जयपुर। राजस्थान की अग्रणी सहकारी डेयरी जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (सरस जयपुर डेयरी) ने सामाजिक सरोकारों ऊर्जा संरक्षण, जैविक कचरे से घरेलू गैस उत्पादन और नये दुग्ध उत्पादों की लॉन्चिंग कर ऐतिहासिक पहल की। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित एक भव्य समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिये सरस मायरा योजना का शुभारम्भ किया गया जिसके तहत डेयरी से जुड़े प्रत्येक दुग्ध उत्पादक को अधिकतम दो बेटियों को शादी में सरस डेयरी की ओर से 21 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जायेगी। मायरा योजना की शुरुआत के अवसर पर ही डेयरी से जुड़ी दो लाभार्थी महिला दुग्ध उत्पादकों को 21-21 हजार रुपये के बैंक भी भेंट किये गये। फलैक्सी बायोगैस योजना का शुभारम्भ भी दो महिला दुग्ध उत्पादक लाभार्थियों को बैंक वितरण के साथ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को जैविक कचरे से घरेलू गैस उत्पादन के लिये 5 हजार अदाते में माना कि केवल जायेगा। योजना के अन्तर्गत हर माह औसतन 1.5 गैस सिलेण्डर जितनी गैस का उत्पादन होगा। इसी प्रकार ग्रीन

एनर्जी उत्पादन के लिये रुफटॉप सोलर प्लांट योजना का भी शुभारम्भ किया गया। रुफटॉप सोलर प्लांट योजना के अन्तर्गत 25-25 मेगावाट क्षमता के रुफटॉप लगाये जायेंगे जिससे समिति का विजली का बिल शून्य होगा और ग्रीन

एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ-साथ स्वाद, स्वास्थ्य और युवा वर्ग को पसन्द को ध्यान में रखते हुए एक साथ

■ दुग्ध उत्पादक महिलाओं की चहुमुखी उन्नति के लिये राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ एमओयू

23 नये दुग्ध उत्पादों की लॉन्चिंग भी की गई। इस अवसर पर जयपुर डेयरी के प्रबन्ध संचालक मनोष फोखदार ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए जयपुर डेयरी के पिछले 50 वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जयपुर डेयरी उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए ही स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक और उच्च गुणवत्तायुक्त दुग्ध उत्पादों की लॉन्चिंग करती है जिसके तहत 23 नये दुग्ध उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिये लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच राजस्थान राज्य की दुग्ध उत्पादक महिलाओं की चहुमुखी उन्नति के लिये एमओयू किया गया और समझौता प्रपत्र का आदान-प्रदान हुआ।



जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में जयपुर डेयरी की महिला सशक्तिकरण की अभिनव पहल-सरस मायरा योजना का शुभारम्भ किया गया। इस योजना की शुरुआत के अवसर पर ही डेयरी से जुड़ी दो लाभार्थी महिला दुग्ध उत्पादकों को 21-21 हजार रुपये के बैंक भी भेंट किये गये।